रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222197
CG-DL-E-01102020-222197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942
No. 285] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
## (वाणिज्य विभाग)
## (विदेश व्यापार महानिदेशालय)
## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2020

**सं. 22/2015–2020**

**विषयः– उड़द के आयात हेतु कोटे के आबंटन की प्रक्रिया।**

**फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2(क)/(भाग–IV)/ड.–5170.**—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 3446(अ) दिनांक 01.10.2020 के परिणामस्वरूप एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएसकोड 07133110, 07139010 और 07139090 के अंतर्गत 1.5 लाख मीट्रिक टन उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल) हेपर की फलियां] के आयात हेतु कोटे के आबंटन की प्रक्रिया को राजकोषीय वर्ष 2020–21 हेतु दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की समयावधि के लिए अधिसूचित करते हैं।

2) उड़द का 1.5 लाख मी० टन का कोटा जून 2020 में उड़द के आयात के लिए कोटा आबंटित किए गए केवल पात्र और सत्यापित आवेदकों के बीच समान रूप से अथवा लागू मात्रा जो भी कम हो, वितरित किया जाएगा।

3) डीजीएफटी किसी भी समय उचित समझने पर आबंटन में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे आवेदक जिन्हें जून 2020 में उड़द के आयात हेतु लाइसेंस जारी नहीं किया गया था और तदोपरांत डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय स्तर के निरीक्षणों के दौरान जो दिए गए पतों पर मौजूद नहीं पाए गए अथवा जिन्होंने झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनके लिए उड़द के आयात हेतु अधिसूचना का.आ. 3446(अ) दिनांक 01.10.2020 के द्वारा अधिसूचित कोटे के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

4) लाइसेंस जारी किए गए पात्र और सत्यापित आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उड़द के आयात की खेप भारतीय पत्तनों पर 31.03.2021 को अथवा इससे पहले पहुंचे। समयावधि को बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 1st October, 2020

**No. 22/2015-2020**

**Subject**: **Procedure for allocation of quota for import of Urad.**

**F.No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/(Part-IV)/E-5170.—**In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015 – 2020 read with Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015 – 2020, the Director General of Foreign Trade, consequent to Notification S.O. 3446 (E) dated 01.10.2020 issued by Ministry of Commerce & Industry, hereby notifies the procedure for allocation of quota for import of 1.5 lakh MT of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Code 07133110, 07139010 and 07139090 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), for the period up to 31st March, 2021, for the fiscal year 2020-21.

2. The quota of 1.5 lakh MT of Urad shall be distributed equally, or for the quantity applied, whichever is lower, only amongst the eligible and verified applicants who were allotted quota for import of Urad in June, 2020.

3. DGFT reserves the right to make any changes in allocation, as deemed fit, at any point of time. Those applicants, who had been issued license in June, 2020 for import of Urad and subsequently, during the field level inspections conducted by the Regional Authorities of DGFT, were found to be non–existent at the given addresses or to have submitted false information / documents, will not be considered for issuance of license under the quota notified vide Notification S.O. 3446 (E) dated 01.10.2020, for import of Urad.

4. The eligible and verified applicants who have been issued licenses will have to ensure that the import consignment of Urad reaches the Indian ports on or before 31.03.2021. Any request for extension of time will not be entertained.

This issues with the approval of Commerce & Industry Minister.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.10.01 22:49:12 +05'30'